भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1926

उत्तर देने की तारीख 31.07.2025

जनजातियों को रोज़गार

1926. श्री मुरारी लाल मीना:

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक केंद्रीय जनजातीय योजनाओं या ट्राइफेड, एनएसटीएफडीसी आदि जैसी संबद्ध संस्थाओं के अंतर्गत राजस्थान, विशेषकर दौसा जिले सहित राज्य-वार कितने जनजातीय परिवारों/युवाओं को रोज़गार या प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया है;

(ख) क्या कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण के बाद जनजातीय युवाओं को पर्याप्त प्लेसमेंट सहायता मिल रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनजातीय उम्मीदवारों की प्रशिक्षण के बाद रोज़गार की स्थिति पर नज़र रखने के लिए कोई निगरानी तंत्र मौजूद है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ट्राइफेड राजस्थान के जनजातीय कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन के लिए प्रशिक्षण और आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) लघु वन उपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और राजस्थान में अब तक उक्त योजना के अंतर्गत कितनी खरीद की गई है; और

(च) राजस्थान में, विशेषकर दौसा ज़िले में, उक्त योजना के अंतर्गत अब तक कितने जनजातीय लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ) प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) योजनाओं के अंतर्गत, मंत्रालय राज्य सरकारों को वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो जनजातीय स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के क्लस्टर हैं। वीडीवीके से जुड़े जनजातीय सदस्यों को मूल्यवर्धन प्रशिक्षण और अग्रिम (अग्र) बाज़ार संपर्क प्रदान किए जाते हैं, जिससे उनकी

आजीविका/स्व-रोज़गार गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों को आपूर्तिकर्ताओं के रूप में सूचीबद्ध करके और उनसे उत्पादों की खरीद करके जनजातीय उपज/उत्पादों के विपणन के लिए पश्च और अग्रिम (अग्र) संपर्क (बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज) स्थापित करता है। ट्राइफेड ने राजस्थान के दौसा जिले में 90 परिवारों से जुड़े 11 कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया है। राजस्थान सहित वीडीवीके का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक 1** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आय सृजन गतिविधियाँ/स्व-रोज़गार शुरू करने के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है जिससे उनमें उद्यमिता की भावना का संचार होता है। पिछले पाँच वर्षों में सहायता प्राप्त लाभार्थियों और उन्हें वितरित ऋणों का राजस्थान सहित राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक 2** में दिया गया है।

(ङ) और (च) पीएमजेवीएम योजना के अंतर्गत, मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लघु वनोपज (एमएफपी) की खरीद के लिए राजस्थान राज्य सरकार को 20.00 लाख रुपये की परिक्रामी निधियां प्रदान की है। अब तक, राजस्थान राज्य ने 251.88 लाख रुपये मूल्य के 377.51 मीट्रिक टन लघु वनोपज की खरीद की सूचना दी है।

दिनांक 31.07.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1926 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित अनुलग्नक 1

पीएमजेवीएम वीडीवीके का राज्य-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत वीडीवीके की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	स्वीकृत निधियां (लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	415	123258	6162.9
2	अरुणाचल प्रदेश	106	32897	1590
3	असम	508	154976	7620
4	छत्तीसगढ़	139	41700	2085
5	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	1	302	15
6	गोवा	10	3000	150
7	गुजरात	200	57968	2895.65
8	हिमाचल प्रदेश	4	1110	55.5
9	जम्मू एवं कश्मीर	100	29791	1457
10	झारखंड	146	43701	2174.7
11	कर्नाटक	140	41748	2087.4
12	केरल	44	12038	597.25
13	लद्दाख	10	3000	150
14	मध्य प्रदेश	126	37860	1890
15	महाराष्ट्र	279	83850	4185
16	मणिपुर	204	61,503	3051.8
17	मेघालय	169	50835	2534.1
18	मिजोरम	286	84268	4211.55
19	नागालैंड	347	104068	5203.4
20	ओडिशा	170	50094	2479.25
21	**राजस्थान**	**505**	**152362**	**7511.55**
22	सिक्किम	80	23801	1169.05
23	तमिलनाडु	8	2400	120
24	तेलंगाना	17	5100	255
25	त्रिपुरा	57	16116	776
26	उत्तर प्रदेश	25	7238	359.55
27	उत्तराखंड	12	3605	179.95
28	पश्चिम बंगाल	22	6719	329.35
कुल		**4130**	**1235308**	**61296**

पीएम-जनमन वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) का राज्य-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत वीडीवीके की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	स्वीकृत निधियां (लाख में)
1	अंडमान और निकोबार	1	56	2.8
2	आंध्र प्रदेश	73	6,162	307.55
3	छत्तीसगढ़	16	2,422	119.75
4	गुजरात	21	1,050	52.5
5	झारखंड	35	2,876	143.8
6	कर्नाटक	33	1,836	91.8
7	केरल	7	537	26.85
8	मध्य प्रदेश	83	5,091	254.5
9	महाराष्ट्र	40	3,624	181.2
10	मणिपुर	2	600	30
11	ओडिशा	58	4773	223.65
12	**राजस्थान**	**51**	**8,842**	**442.1**
13	तमिलनाडु	37	2,403	120.15
14	तेलंगाना	25	1427	73.05
15	त्रिपुरा	30	2,550	127.5
16	उत्तराखंड	9	634	31.7
17	उत्तर प्रदेश	5	319	15.95
18	पश्चिम बंगाल	5	278	13.9
कुल		**531**	**45480**	**2258.75**

दिनांक 31.07.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1926 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित अनुलग्नक 2

एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत वितरित ऋणों की राज्य-वार राशि और लाभार्थी

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	5022.24	12533	1127.19	2006	4119.80	13669	5551.49	27221	6039.21	12899
2	अंडमान और निकोबार	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	970.52	435	814.01	8143	699.90	1835	25.77	13	17.88	17
4	असम	5.00	2	-	-	-	-	40.02	43	24.24	21
5	बिहार	-	-	11.48	955	-	-	3.06	3	0	0
6	छत्तीसगढ़	197.49	236	1398.99	1107	295.69	1216	227.29	503	499.43	4837
7	दादरा एवं नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	4.55	6	0	0
8	गोवा	-	-	-	-	-	-	0.22	1	0	0
9	गुजरात	1442.03	8230	2022.50	11053	1019.61	5224	2810.12	11848	4931.39	18461
10	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	13.40	2	14.00	2	56.90	120	2.19	2	30.60	33
12	जम्मू एवं कश्मीर	408.75	175	1362.87	410	1272.54	535	295.19	106	1102.49	409
13	झारखंड	1001.60	10752	1422.00	15523	3.00	756	684.25	1703	247.45	135
14	कर्नाटक	3109.08	3014	1369.31	962	1582.42	1927	853.41	1003	1854.44	1368
15	केरल	298.76	192	637.30	436	720.73	666	446.74	258	684.80	567
	लद्दाख									73.53	13
16	मध्य प्रदेश	3360.10	5685	2755.00	2373	5392.05	10857	1759.58	828	1660.72	1582
17	महाराष्ट्र	37.27	822	209.06	7408	658.19	1204	2523.52	1528	567.76	1005
18	मणिपुर	62.37	65	-	-	25.00	57	235.49	174	102.80	65
19	मेघालय	4485.43	35016	694.81	1883	470.60	1227	475.91	1193	298.09	112
20	मिजोरम	3324.18	1399	5450.68	16278	5295.74	3584	6856.69	4573	6948.28	3529
21	नागालैंड	1098.72	48240	693.36	48257	20.39	1	1199.77	771	627.08	282
22	ओडिशा	1794.44	22231	2457.92	30026	63.19	4337	362.35	17025	883.56	15045

23	**राजस्थान**	**2205.16**	**2664**	**508.60**	**588**	**789.35**	**1856**	**712.22**	**885**	**130.16**	**1091**
24	सिक्किम	82.11	21	62.56	16	-	-	34.23	27	201.63	46
25	तमिलनाडु	12.50	1609	15.00	1609	1087.13	3403	3265.67	7327	1210.39	6437
26	तेलंगाना	5359.23	13065	3111.55	9355	4583.99	11861	3218.52	11369	5174.31	10777
27	त्रिपुरा	2216.28	1056	580.26	2196	48.02	20	2014.62	2234	1695.98	569
28	उत्तर प्रदेश	1.55	4	-	-	-	-	3.37	4	1.92	2
29	उत्तराखंड	6.15	2	-	-	81.42	244	32.59	8	85.81	628
30	पश्चिम बंगाल	275.64	2089	573.92	4515	1643.34	8393	1526.59	4486	2233.75	8828
	कुल	**36790.00**	**169539**	**27292.37**	**165101**	**29929.00**	**72992**	**24221.12**	**52432**	**37327.70**	**88758**

*****